

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक (कॉलग 4 में वर्णित) 06 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 3,00,000/- (तीन लाख रूपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० संजीत पारावान, 41, शंगू पारावान, अनुरूचित जाति वर्ग	रीता देवी (पत्नी)	677 08.06.2026	ग्राम-गौधीनगर, पं०-पहलागढ़, पो०-रोनैली, प्र०+थाना-कदवा, जिला-कटिहार 9110965844	391773 0741	CBI CBIN02 81703	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ऑटो रिक्शा चलाने का कार्य
2	स्व० चन्दन गरांडी, 32, किशन मरांडी, अनुरूचित जनजाति वर्ग	पार्वती देवी (पत्नी)	680 08.06.2026	ग्राम-निझरा, पं०-कटिया, पो०-रोनैली, प्र०+थाना-कदवा, जिला-कटिहार 9546920411	305417 36712	SBI SBIN000 3127	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, गवन निर्माण में गजदूरी का कार्य
3	स्व० गंगल शोरेन, 42, देना शोरेन, अनुरूचित जनजाति वर्ग	सुगित्रा देवी (पत्नी)	682 08.06.2026	ग्राम-बरांतपुर, पं०+पो०-सागरथ, प्र०+थाना-कदवा, जिला-कटिहार 6203316052	334575 17060	SBI SBIN000 8391	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजगिरित्री का हेल्पर
4	स्व० भुटो ऋषि, 64, शिवू ऋषि, अनुरूचित जाति वर्ग	चुनिया देवी (पत्नी)	685 08.06.2026	ग्राम-मेढौल, पं०-महम्मदपुर, पो०-दुर्गागंज, प्र०+थाना-कदवा, जिला-कटिहार 6204239673	371769 84159	SBI SBIN000 8391	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
5	स्व० चंदन कुमार गोंड, 37, राजेन्द्र प्रसाद गोंड, अनुरूचित जनजाति वर्ग	सुगन देवी (पत्नी)	739 08.06.2026	ग्राम-लालनगर, वार्ड-43, पो०-डहेरिया, प्र०-कटार सदर, थाना-कटिहार, जिला-कटिहार 8709330289	435300 88937	SBI SBIN000 6428	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, गवन निर्माण में गजदूरी का कार्य
6	स्व० भरत प्रसाद गंडल, 60, बाबूलाल गंडल, अनुरूचित जनजाति वर्ग	तेतरी देवी (पत्नी)	750 20.06.2026	ग्राम-मनिया, पं०-सिननियाँ पूरब, पो०-बुधनगर, प्र०-कटिहार रादर, थाना-गुफरिराल, जिला-कटिहार 9431670726	196800 170000 2197	PNB PUNB01 96800	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (सड़क दुर्घटना के कारण) कृषि मजदूर का कार्य

7	रव० गंदू त्रघषि, 55, रव० त्रघषि, अनुरूपित जाति वर्ग	राना देवी (पत्नी)	052 08.07.2026	ग्राग-गनोहरपुर, पो०-नारायणपुर प्र०+थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार 9204347290	008210 474866	IPPB IPOS000 0001	रु० 50,000 / (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि गजदूर का कार्य
---	--	----------------------	-------------------	---	------------------	-------------------------	---	--

कुल राशि :- रु० 5,00,000 / -
(पाँच लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

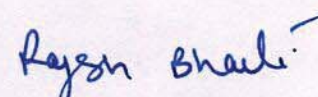
ह० / -
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह० / -
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-31/2026(अंश)-1145 पटना, दिनांक :- 24/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 5,00,000 / - (पाँच लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, कटिहार/उप श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


24/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक